न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़. जिला–जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या– 47/2020
निर्णय दिनांक– 09.11.2020

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. कालूसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति दरोगा निवासी गजसिंहपुरा तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर		1. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955

उपस्थिति

1. वादी की ओर से श्री रामकिशोर चौधरी अधिवक्ता उपस्थित।
2. प्रतिवादी सरकारी पैरोकार उपस्थित।

निर्णय

वकील वादी ने एक वाद मय शपथ पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है–

1. यह है कि ग्राम गजसिंहपुरा की सरहद में भूमि खाता संख्या 61 जिसके खसरा नं. 41/1 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम भूमि आई हुई है जिसको विवादित भूमि से संबोधित किया जावेगा। उक्त वादग्रस्त आराजी वादी के नाम की खातेदारी हकूक की कब्जासुद भूमि है जिस पर वादी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादी की खातेदारी भूमि है जो वादी की पुश्तैनी भूमि है जो वादी को विरासत से प्राप्त हुई है तथा विरासत का नामान्तरकरण भरते समय वादी का नाम कालूराम पुत्र मोहनराम लिख दिया लेकिन वादी के अन्य दस्तावेजों जिसमें आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक खाता डायरी, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, शैक्षणिक अंकतालिका, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गजसिंहपुरा पंचायत समिति भोपालगढ़ जिला जोधपुर द्वारा प्रदत प्रमाणपत्र आदि में वादी का नाम कालूसिंह पुत्र मोहनसिंह है। कालूराम पुत्र मोहनराम जाति दरोगा नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है। में भी अभी हाल ही में वादी पटवारी से जमाबंदी लेने गया तब बताया कि रेकर्ड में तुम्हारा नाम कालूराम पुत्र मोहनराम दर्ज है जिसको दुरूस्त कराना आवश्यक है। वादी अपनी खातेदारी भूमि में अपना नाम कालूराम पुत्र मोहनराम के स्थान पर कालूसिंह पुत्र मोहनसिंह नाम की खातेदारी घोषणा करवाने का हकदार है।

2. प्रकरण दर्ज कर सम्मन जारी किए गए जिसमें प्रतिवादी तहसीलदार भोपालगढ़ का जवाब पेश हुआ जिसमें बताया कि वादी द्वारा प्रस्तुत टी.सी., आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड की प्रतियों में नाम कालूसिंह पुत्र मोहनसिंह अंकित है।

09.11.2020
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

ग्राम विकास अधिकारी गजसिंहपुरा के प्रमाणपत्र अनुसार वादी का सही नाम कालूसिंह पुत्र मोहनसिंह ही है। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में वादी का नाम कालूराम पुत्र मोहनराम दर्ज है। वादग्रस्त आराजी में वादी अपना नाम कालूराम पुत्र मोहनराम के स्थान पर कालूसिंह पुत्र मोहनसिंह नाम की खातेदारी घोषणा करवा सकता है।

3. इस प्रकरण में तन्कियत कायम की गई जिसमें तन्की संख्या 01 के संबंध में वादी ने अपने साक्ष्य में स्वयं का, अन्य साक्ष्य नाथूसिंह पुत्र किसनसिंह जाति राजपूत निवासी गजसिंहपुरा का भी शपथपत्र पेश किया जिसमें अपना नाम कालूराम पुत्र मोहनराम के स्थान पर कालूसिंह पुत्र मोहनसिंह नाम की खातेदारी घोषणा करवाने हेतु पेश किया।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा वादी के शपथपत्र, अन्य दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के शपथपत्र एवं वकील वादी की बहस के आधार पर वादी का वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भोपालगढ़ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम गजसिंहपुरा की सरहद में भूमि खाता संख्या 61 जिसके खसरा नं. 41/1 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में कालूराम पुत्र मोहनराम के स्थान पर कालूसिंह पुत्र मोहनसिंह दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09.11.2020

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़